निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)
(सं0 पटना 435) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान–सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–26/2020–1003/वि०स०।—''बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–4 / 2020]

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा–02 की उप धारा–(क) में संशोधन के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।**–(1) यह अधिनियम बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा–02 की उप धारा–(क) में परंतुक का जोड़ा जाना ।**– बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा–02 की उप धारा–(क) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगा यथाः–

"परन्तु बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं में शामिल राशन कार्ड से संबंधित मामला इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद माना जायेगा।"

3. **निरसन एवं व्यावृति ।**–(i) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–05, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि राज्य की जनता को नियत समय सीमा के भीतर लोक शिकायतों की सुनवाई कर निवारण का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा वर्ष 2015 म बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 पारित किया गया है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राशन कार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएँ शामिल रहने के कारण यह विषय बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम,2015 की धारा–02(क) में परिभाषित परिवाद में शामिल नहीं है।

और चूँकि राशन कार्ड से संबंधित विषय आम जनता से सीधे जुड़े रहने के कारण काफी संवेदनशील है, और इससे संबंधित कोई फायदा या अनुतोष प्राप्त करने के लिए दिये गये आवेदन पर या ऐसा अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब की स्थिति में इसकी सुनवाई कर उसका निराकरण कराने के लिए प्रभावकारी फोरम का होना आवश्यक समझा गया है।

राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा–02 की उप धारा–(क) के अन्तर्गत परिवाद में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, और इसके लिए इस अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है। यही इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 435-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in